न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/883

1. रामस्वरूप पुत्र गोकरण
2. जयप्रकाश पुत्र गजानन्द
3. नाथूलाल पुत्र बालूराम

समस्त जातियान–ब्राहम्ण निवासीगण ग्राम पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र प्रभूदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान।
2. तहसीलदार, तहसील कार्यालय लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान।

– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर निर्णय दिनांक 22.10.2024 प्रकरण संख्या 62/2024 उनवानी ताराचन्द बनाम तहसीलदार पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री सावंतराम गुर्जर, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री प्रमेन्द्र दाधीच, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–23.09.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 22.10.2024 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र 96 सी.पी.सी. एवं प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 24.01.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 108 रकबा 3.0900 हैक्टेयर कृषि भूमि वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर में स्थित है। जिसका प्रार्थी रिर्कोडेड खातेदार है। जिस पर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2024 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पाटोदा के खसरा नम्बर 108 रकबा 3.09 हैक्टेयर के वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकित डॉटेड रास्ते को हजफ किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रिपोर्ट तहसीलदार को इस आदेश का भाग समझे जाने व तहसीलदार लक्ष्मणगढ को उपरोक्तानुसार दुरूस्ती करने व पालना से 15 दिवस में अवगत कराने के आदेश पारित किये गये हैं।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 22.10.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स रामस्वरूप पुत्र गोकरण व अन्य द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।
5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि विद्वान विचारण अधीनस्थ न्यायालय का

आदेश दिनांक 22.10.2024 कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों व विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 22.10.2024 पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड व दस्तावेजात के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 2.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 3.05 हैक्टेयर, 103 रकबा 3.19 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटोदा, पटवार हल्का पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसकी खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम से पृथक–पृथक रुप से दर्ज है उपरोक्त कृषि भूमियों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता जिसका अपीलार्थीगण के द्वारा कदीमी समय से उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, जिससे खातेदार कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्रोल ऊंटगाडी, लड्डा, पशु आदि लाते व ले जाते है। अपीलार्थीगण की कृषि भूमियों में आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिसका अपीलार्थीगण के द्वारा पीढियों से उपयोग व उपभोग किया जा रहा है उक्त रास्ता ग्राम पाटोदा से जाने वाली आम ग्रेवल सड़क से कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 में प्रवेश करता है, खसरा नम्बर 108 से 102 में प्रवेश करता है एवं खसरा नंबर 103 व 104 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता रिकार्ड नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन के रूप में दर्ज है। अपीलार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमियों में आने जाने के लिये यही एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है लेकिन रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर उक्त रास्ते को जानबूझकर तारबंदी कर बंद कर दिया जिसका की उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर कोई गौर नहीं कर यह आलोच्य आदेश पारित किया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 ने कृषि भूमि खसरा नंबर 108 से जो रास्ता अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि में जाने हेतु एकमात्र रास्ता है उसके बदनियतिवश गैर कानूनी रूप से बंद कर दिया गया था। जिस पर अपीलार्थीगण द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ को रास्ता खुलवाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा टीम गठित कर उक्त रास्ते को खुलवाने का आदेश पारित किया गया। जिसकी जानकारी होने पर रेस्पॉडेन्ट 1 द्वारा उक्त कार्यवाही को बाधित करने की बदनियति से अपीलार्थीगण को पक्षकार संयोजित किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पटवार हल्का से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट करवाकर उक्त निर्णय पारित करवा लिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौके की वास्तविक स्थिति की रिपोर्ट लिये बिना ही तथा प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना उक्त आलौच्य आदेश पारित किये गया है। जिससे कानून के नैसर्गिक व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। ग्राम पंचायत पाटोदा द्वारा ग्राम पाटोदा से विभिन्न राजस्व ग्रामों में जाने वाले रास्तो का सेटमेंट के कटान के निम्न प्रस्ताव दिनांक 21.09.2007 को लिये गये थे। जिसमें प्रस्ताव संख्या 2 व्यक्तिगत ढाणियों में जाने वाले रास्तों का कटान का प्रस्ताव लिया गया था, जिसमें रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 के पिता प्रभूदयाल शर्मा की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 55 का भी कटान का प्रस्ताव लिया गया था जिसमें सभी ग्राम वासियों व उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति में ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया गया था। जिसकी जानकारी रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 को भली भांतिपूर्ण थी कि खसरा नंबर 55 नया खसरा नंबर 108 से अपीलार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 101, 104, 103, 102 में जाने हेतु एकमात्र रास्ता स्थित है। इसी रास्ते से अपीलार्थीगण अपने कृषि यंत्र, ऊंटगाडी, ट्रेक्टर, ट्रोली आदि लाते ले जाते है इसके अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। बदनियतिवश रेस्पोडेन्ट 1 द्वारा उक्त रास्ते को अवरूद्ध करने की बदनियति से मिथ्या आधारो पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रास्ते पर तारबंदी कर रास्ते को अवरुद्ध कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का से मिलीभगत कर वास्तविक स्थिति के विपरीत रिपोर्ट तैयार करवाकर प्रस्तुत करवायी है जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना वास्तविक स्थिति की जांच किये बिना तथा दस्तावेजों का अवलोकन किये बिना ही उक्त आलोच्य आदेश पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

तहसीलदार रेस्पॉडेन्ट 2 द्वारा पूर्व में बंद रास्ते को खुलवाने हेतु टीम गठित कर रास्ता खुलवाने बाबत आदेश पारित किया गया है तथा उसी तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत कर बिना मौके की जांच किये बिना ही मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता चालू नहीं होने के तथ्य अंकित कर रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है जो अपने आप में ही विरोधाभाषी है। जब रास्ता ही चालु नहीं था तो तहसीलदार लक्ष्मणगढ द्वारा दिनांक 19.07.2024 को अपने पत्र क्रमांक/राजस्व /2024/517–520 भू अभिलेख निरीक्षक वृत पाटोदा पटवारी हल्का पाटोदा पुलिस थाना नेछवा को तहरीर जारी कर दिनांक 23.07.2024 को मय राजस्व रिकार्ड के मौके पर उपस्थित होकर ग्राम पाटोदा के खसरा नंबर 102, 101, 103, 104 में आने जाने का खसरा नंबर 108 के काश्तकारों द्वारा अवरूद्ध कर दिया गया है, उक्त रास्ते की जांच भू अभिलेख निरीक्षक वृत पाटोदा व पटवारी हल्का पाटोदा से करवायी गयी। जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त रास्ता अवरूद्ध पाया गया जिसके कारण आवागमन व कृषि कार्य बाधित हो रहा है। अतः राजस्व कार्मिकों की टीम का गठन किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 23.07.2024 को राजस्व रिकार्ड के मौके पर उपस्थित होकर उक्त रास्ते को खुलवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करे। जिससे पूर्णतः प्रमाणित है कि उक्त रास्ता पूर्व से ही चालू था। लेकिन रेस्पॉडेन्ट नं. 1 ने उक्त रास्तें को तारबंदी कर बंद कर दिया गया। तथा पटवारी हल्का द्वारा तहसीलदार को जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है वह मौके की वास्तविक स्थिति के विपरीत प्रस्तुत की गयी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर किसी प्रकार का कोई गौर नहीं कर कानून के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर यह निर्णय पारित किया गया है जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है। राज्य सरकार राजस्व विभाग द्वारा अपनी विभिन्न योजनाओं द्वारा प्रत्येक खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि में पहुंच हेतु रास्ता उपलब्ध करवाने हेतु विभिन्न नियम उपनियमों का प्रावधान किया गया है जिससे कि किसी भी खातेदार को उसकी खातेदारी की भूमि में आने जाने में एवं खेती करने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हो तथा जो रास्तें राजस्व रिकार्ड में अंकित नहीं है उन रास्तो को भी प्रचलित रास्ते के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित करने के प्रावधान किये गये है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर अपीलार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य हेतु कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्रोल ऊंटगाडी, लड्डा, पशु आदि लाने ले जाने हेतु एकमात्र रास्ता जो कि रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर पुराना 55 व नया खसरा नंबर 108 में से होकर जाता है, उसे बिना अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही कानून के प्रतिपादित सिद्धांतो के विपरीत जाकर आलोच्य आदेश पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। कानून का प्रतिपादित सिद्धांत है कि किसी भी राजस्व रिकार्ड में जो रास्ता कायम है तथा चालू रास्ता है जिसे राजस्व रिकार्ड में डोटेड लाईन के रूप में अंकित कर रखा है उसे कानूनन बिना प्रभावित/पीडित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही कानूनन विलोपित नहीं किया जा सकता है। जिससे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

कृषि भूमि खसरा नम्बर 101 रकबा 1.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 104 रकबा 2.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 102 रकबा 3.05 हैक्टेयर, 103 रकबा 3.19 हैक्टेयर वाके ग्राम पाटोदा, पटवार हल्का पाटोदा, तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला–सीकर राज. में अवस्थित है जिसकी खातेदारी अपीलार्थीगण के नाम से पृथक–पृथक रुप से दर्ज है उपरोक्त कृषि भूमियों में आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता जिसका अपीलार्थीगण के द्वारा कदीमी समय से उपयोग व उपभोग किया जा रहा है, जिससे खातेदार कृषि यंत्र, ट्रेक्टर ट्रोल ऊंटगाडी, लड्डा, पशु आदि लाते व ले जाते है। अपीलार्थीगण की कृषि भूमियों में आने जाने के लिए यही एकमात्र रास्ता है जिसका अपीलार्थीगण के द्वारा पीढियों से उपयोग व उपभोग किया जा रहा है उक्त रास्ता ग्राम पाटोदा से जाने वाली आम ग्रेवल सड़क से कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 में प्रवेश करता है, खसरा नम्बर 108 से 102 में प्रवेश करता है एवं खसरा नंबर 103 व 104 में प्रवेश करता है उक्त रास्ता रिकार्ड नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन के रूप में दर्ज है। अपीलार्थीगण की उपरोक्त कृषि भूमियों में आने जाने के लिये यही एकमात्र रास्ता है। अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है लेकिन रेस्पॉडेन्ट संख्या 1 ने मिलीभगत कर उक्त रास्ते को

जानबूझकर तारबंदी कर बंद कर दिया जिसका की उसे कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे उक्त अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। प्रार्थीगण को उक्त अपील को प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी तो प्रार्थीगण को ऐसी अपूर्तनीय क्षति कारित होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से संभव नहीं हो पावेगी तथा अप्रार्थीगण अपने मंनसूबों में कामयाब हो जावेंगे जिससे प्रार्थीगण को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति दिया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने के आदेश प्रदान किये जावे।

प्रार्थीगण ने एक अपील श्रीमान के समक्ष ठोस आधारों पर प्रस्तुत कर दी गयी है जिसमें प्रार्थीया को सफलता की पूरी–पूरी आशा है। प्रार्थीगण को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था जबकि वह प्रभावित पक्षकार थे। जिससे उक्त निर्णय के बारे में प्रार्थीगण को सर्वप्रथम बार दिनांक 03.1.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में निर्णय होने के संबंध में बताया गया जिससे प्रार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर उक्त निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त की जिससे उक्त निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त होते ही अविलम्ब उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिससे उक्त निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त होने पर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर उक्त अपील तैयार करवायी जिससे उक्त अपील में हुयी देरी को माफ किया जाकर उक्त अपील को प्रस्तुत करने में हुयी देरी को कन्डोन किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना न्यायहित में उचित एवं आवश्यक है। उक्त अपील को समयावधि में मानकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर की जावे। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को अन्दर मियाद मानकर अपील की सुनवाई गुणावगुण पर करने की कृपा करें। अतः अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का पेश किया था कि वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 3.09 हैक्टेयर, कुल किता 1 कूल रकबा 3.09 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी खातेदार है प्रार्थी के वर्तमान खसरा नम्बर 108 के पूर्वी कोने पर गलत रूप से राजस्व कर्मचारियों की गफलत से टीक मार्क अंकित किया है जबकि प्रार्थी के पुराने खसरा नम्बर 55 नया खसरा नम्बर 108 की तुलना में कोई टीक मार्क अंकित नहीं है अतः पुराने खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस 55 के अनुसार वर्तमान खसरा नम्बर 108 से टीक मार्क अंकन हटाया जाना प्रार्थनीय है। संशोधन वर्तमान खसरा नम्बर नक्शा ट्रेस 108 में पुराने नक्शा ट्रेस ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर राजस्थान खसरा नम्बर 55 अनुसार किया जाना प्रार्थनीय है। प्रार्थी के पुराने खसरा नम्बर 55 नया खसरा नम्बर 108 में वर्तमान में किसी प्रकार का रास्ता, पगडंडी मौके पर अवस्थित नहीं है। राजस्व कर्मचारियों ने गलत रूप से सहवन से वर्तमान खसरा नम्बर 108 के नक्शा ट्रेस में गलत रूप से टीक मार्क अंकन कर दिया है जो विधि समत नहीं होने के कारण हटाये जाने योग्य है। इसलिये पुराने नक्शा ट्रेस खसरा नम्बर 55 के आधार पर वर्तमान खसरा नम्बर 108 के खसरा नक्शा ट्रेस राजस्व रिकार्ड में गलत इन्द्राज किये गये टिक मार्क हटाये जाने का निवेदन प्रार्थनीय है। आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को हासिल है। आवेदन उचित न्याय शुल्क पर सादर प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर श्रीमानजी से निवेदन है कि वाके ग्राम पाटोदा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर के कृषि भूमि खसरा नम्बर 108 रकबा 3.09 हैक्टेयर, कुल किता । कुल रकबा 3.09 हैक्टेयर में गलत रूप से नक्शा ट्रेस में अंकन किये गये टीक मार्क को हटाये जाने के आदेश खसरा नम्बर नम्बर पुराना 55 नक्शा ट्रेस वाके ग्राम पाटोदा रिकॉर्ड अनुसार दिये जाने की कृपा करें।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जिस पर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2024 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम पाटोदा के खसरा नम्बर 108 रकबा 3.09 हैक्टेयर के वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकित डॉटेड रास्ते को हजफ किये जाने के आदेश दिये गये हैं। रिपोर्ट तहसीलदार को इस आदेश का भाग समझे जाने व तहसीलदार लक्ष्मणगढ को उपरोक्तानुसार दुरूस्ती करने व पालना से 15 दिवस में अवगत कराने के आदेश पारित किये गये हैं, वह सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही पारित किये गये है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 2 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 22.10.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलांट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट्स का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अपीलान्ट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 03.01.2025 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपने पक्ष में निर्णय होने के संबंध में होना बताया गया एवं नकल दिनांक 07.01.2025 को प्राप्त करना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुयें गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर रेस्पोडेन्ट 2 द्वारा पूर्व में बंद रास्ते को खुलवाने हेतु टीम गठित कर रास्ता खुलवाने बाबत आदेश पारित किया गया है तथा उसी तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रेषित रिपोर्ट क्रमांक/भू.अ./24/2407 दिनांक 24.09.2024 में अंकित किया गया है कि "खसरा नम्बर 108 में मौके पर तारबन्दी की हुई है एवं रास्ता चालू नही है। राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 108 की पूर्वी सीमा के सहारे–2 नक्शा शीट में डोटेड रास्ता दर्शाया हुआ है एवं ख0नं0 108 की जमाबन्दी में किसी भी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है सेटलमेंट से पूर्व के राजस्व रिकार्ड नक्शा लट्टा में ख0नं0 108 के पुराने ख0नं0 55 में भी किसी प्रकार के रास्ते का अंकन नहीं है एवं जमाबन्दी सम्वत् 2061–64 में भी ख0 नं0 55 रकबा 3.09 किस्म बारानी दर्ज है एवं रास्ते का अंकन नहीं है।" जिससे स्पष्ट है कि तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर ने अपनी रिपोर्ट में अंकन किया है कि राजस्व रिकार्ड में ख0नं0 108 की पूर्वी सीमा के सहारे–2 नक्शा शीट में डोटेड रास्ता दर्शाया हुआ है। जिससे पूर्णतः प्रमाणित है कि उक्त रास्ता पूर्व से ही चालू था। लेकिन रेस्पोडेन्ट नं. 1 ने उक्त रास्तें को तारबंदी कर बंद कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर किसी प्रकार कोई गौर नहीं कर कानून के प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत जाकर उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर ने वाके ग्राम पाटोदा के खसरा नम्बर 108 रकबा 3.09 हैक्टयर के वर्तमान नक्शा ट्रेस में अंकित डॉटेड रास्ते को हजफ किये जाने के सम्बन्ध में अपीलाधीन आदेश पारित करने में विधिक त्रुटि की गई। हाल रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 द्वारा वादग्रस्त प्रकरण में हाल अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार न बनाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 प्रस्तुत किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स अधीनस्थ न्यायालय में अपना पक्ष, साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात प्रस्तुत नही कर सके। इसलिये सभी प्रभावित पक्षकारों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात ही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 को निर्णित किया जाना चाहिए था। ऐसी स्थिति में हम समझते हैं कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

22.10.2024 निरस्त किये जाने योग्य है तथा अपीलान्ट्स हितबद्ध एवं प्रभावित व्यक्ति है, जिन्हें अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया जाना न्यायिक रूप से आवश्यक है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.10.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ, जिला सीकर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्षकारान को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान कर, साक्ष्य, सबूत एवं दस्तावेजात प्रस्तुत करने का उचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित किया जावे।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर